उत्तर प्रदेश शासन
राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग
संख्या– 354 / चालीस–2013–20(27) / 2006
लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2013

विज्ञप्ति

उ0प्र0 अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली,1976 के नियम–6 "पुरस्कार की धनराशि" को संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित रखे जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:–

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
"पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल दस हजार रूपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी, जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाय" ।	"पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल पचास हजार रूपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर नियत की जाय" ।

2– उपर्युक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल,2013 से प्रभावी होंगे ।

आज्ञा से,

(नेत राम)
प्रमुख सचिव

संख्या– 354(1) / चालीस–2013–20(27) / 2006
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
(5) निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ / आकाशवाणी, लखनऊ ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9

आज्ञा से,

(नेत राम)
प्रमुख सचिव

संख्या– 354(2) / चालीस–2013–20(27) / 2006

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आगामी गजट के अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

2– गजट में प्रकाशन के पश्चात् विज्ञप्ति की 600 प्रतियां राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय को भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिन्हा)
उप सचिव